खण्ड – छः
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

1. प्रस्तावनाः-

प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिये राज्य के सर्वोच्च संगठन होने के नाते छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिये विभिन्न कार्यक्रमों की योजना और उसके निष्पादन हेतु प्रयासरत है। मण्डल पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिये उच्च टैक्नॉलाजी और बेहतर प्रबंधन को विकसित करने और कार्यान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है। राज्य में जल स्त्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखना एवं उसको स्वच्छ बनाये रखना बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है।

औद्योगिक ईकाईयों से उत्सर्जन और प्रदूषण की ऑनलाईन निगरानी/उच्च प्रदूषणकारी उद्योगों को 17 प्रकार की श्रेणीयों में बांटा जाना एक बेहतर कार्य योजना तैयार करने एवं प्रशासन में पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन :-

राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 25 जुलाई 2001 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 4 के तहत किया गया है।वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों में प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा हैः–

1. जल (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. वायु (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
4. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा पार संचलन) नियम, 2016
5. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
6. जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
7. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016
8. ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
9. अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016
10. लाई ऐश के उपयोग पर जारी अधिसूचना, 1999
11. बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001
12. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006

3. संगठनात्मक संरचना :-

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय नया रायपुर में स्थित है, तथा इसके अधीनस्थ सात क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः रायपुर, भिलाई–दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अम्बिकापुर, जगदलपुर में स्थित है। क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार है :–

तालिका - 1

क्रं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	जिले का नाम
1	रायपुर	रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बलौदा बाजार, गरियाबंद
2	भिलाई–दुर्ग	दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा, खैरागढ–छुईखदान–गंडई, मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी
3	बिलासपुर	बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, मुंगेली, जी.पी.एम., सक्ती
4	कोरबा	कोरबा
5	रायगढ़	रायगढ़, जशपुर, सारंगढ़–बिलाईगढ़
6	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर
7	जगदलपुर	जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर बीजापुर, कोण्डागांव, सुकमा

4. मंडल के मुख्य कार्यकलाप

(1) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों एवं संस्थाओं को क्रमशः जल एवं वायु सम्मति प्रदान करना।

(2) राज्य में स्थित प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था करवाना एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के संचालन पर निगरानी रखना।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अतंर्गत बनाये गए विभिन्न नियमों यथा खतरनाक अपशिष्ठ (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचालन) नियम, 2008, नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 2000, जीव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998, अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियम 2011, फ्लाई ऐश के उपयोग पर जारी अधिसूचना सितम्बर, 1999, बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001 एवं ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 आदि के प्रावधानों का पालन कराना।

5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सम्पादित कार्य :-

5.1 जल एवं वायु सम्मति

(अ). मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों एवं संस्थाओं को क्रमशः जल एवं वायु सम्मति प्रदान की जाती है। 1 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक मंडल को सम्मति शुल्क के रूप में रू 2619.93/–लाख तथा नवीनीकरण शुल्क के रूप में रू 4997.57/– लाख प्राप्त हुए।

(ब) राज्य में स्थित प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था करवाना एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के संचालन पर निगरानी रखना।

तालिका - 2

दिनांक 1 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक उद्योगों को जारी की गई, सम्मति/सम्मति नवीनीकरण की संख्या

क्रं.	कार्यालय का नाम	स्थापना/संचालन सम्मति	नवीनीकरण
1	मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर	स्थापना –114 संचालन –117 } 231	358
2	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	395	659
3	क्षेत्रीय कार्यालय, भिलाई–दुर्ग	302	515
4	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	485	432
5	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	147	73
6	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	127	255
7	क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर	120	194
8	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	113	323
	कुल	**1920**	**2809**

तालिका - 3

दिनांक 31 दिसम्बर 2025 तक क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले लघु, मध्य/बड़े उद्योगों की संख्या

क्रं.	कार्यालय का नाम	लघु उद्योग	मध्यम/बड़े उद्योग
1	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	4066	232
2	क्षेत्रीय कार्यालय, भिलाई–दुर्ग	3846	161
3	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	1610	72
4	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	382	39
5	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	889	96
6	क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर	120	32
7	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	545	21
	कुल	**11458**	**653**

5.2 जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

(अ) भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन कार्यक्रम (मीनार्स)

इसके अंतर्गत प्रमुख प्राकृतिक जल स्त्रोतों की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जाती है। इस कार्यक्रम में प्रदेश की मुख्य नदियाँ– महानदी, शिवनाथ, खारून, अरपा, हसदेव, केलो, शंखनी–डंकनी, मांड, इंद्रावती नदियाँ शामिल हैं। यह योजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आर्थिक सहयोग से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूनें एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :–

तालिका - 4

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग–भिलाई	98
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	84
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	12
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	66
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	92
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	36
	कुल	**388**

(ब) अन्य प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग

मीनार्स कार्यक्रम के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा स्वयं के वित्तीय व्यय से सभी प्रमुख नदियों तथा उनकी सहायक नदियों एवं मुख्य झीलों, बांधों तथा तालाबों के जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूनें एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :–

तालिका - 5

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग–भिलाई	262
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	96
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	115
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	199
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	297
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	48
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	57
	कुल	**1074**

(स) औद्योगिक दूषित जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग

उद्योगों से उत्पन्न दूषित जल की गुणवत्ता मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है। मॉनिटरिंग परिणामों के आधार पर उद्योगों पर कार्यवाही की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूनें एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :–

तालिका - 6

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग–भिलाई	240
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	78
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	49
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	86
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	435
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	23
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	207
	कुल	**1118**

5.3 वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

(अ) राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम ;छ।फडद्ध

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के चार प्रमुख शहरों रायपुर, कोरबा, बिलासपुर एवं दुर्ग–भिलाई में परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग की जाती है। मॉनिटरिंग में आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थान सम्मिलित हैं। मॉनिटरिंग में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेटर (एस.पी.एम.), रेस्परेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेटर (आर.एस.पी.एम.), सल्फर डाई–आक्साइड व नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार विश्लेषित नमूनों की संख्या निम्नानुसार है :–

तालिका - 7

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	एस.पी.एम.	आर.एस.पी.एम.	सल्फर डाई ऑक्साइड	नाइट्रोजन ऑक्साइड
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई–दुर्ग	644	1923	3774	3774
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	557	1607	2884	2884
3.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	406	1148	2296	2296
4.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	1092	2931	5920	5920
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	269	753	1509	1509
	कुल	**2968**	**8362**	**16383**	**16383**

(ब) उद्योगों की चिमनियों के उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग

औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप वायु प्रदूषण की स्थिति पर सतत् निगरानी रखने हेतु उद्योगों की चिमनियों से होने वाले उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार उद्योगों की चिमनियों एवं परिवेशीय वायु के निम्नानुसार नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये:–

तालिका - 8

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	स्टेक मॉनिटरिंग की संख्या	एंबीएन्ट एयर मॉनीटरिंग की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई–दुर्ग	101	354
2.	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	51	434
3.	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	05	220
4.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	–	149
5.	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	152	198
6.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	131	496
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	49	122
	कुल	**489**	**1973**

5.4 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए.नोटिफिकेशन 2006 के अंतर्गत की गई लोक सुनवाई :-

(अ) दिनांक 1 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक की अवधि में सम्पन्न लोक सुनवाई की संख्या :- 54

तालिका - 9

क्र.	कार्यालय का नाम	भारत शासन को भेजे गये प्रकरणों की संख्या
1.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल	54

5.5 उल्लंघनकारी उद्योगों के विरूद्ध की गई कार्यवाही

दिनांक 1 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक की अवधि में जारी नोटिस एवं निर्देशों का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका - 10

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नोटिस	विद्युत विच्छेद/उत्पादन बंद करने के निर्देश
1.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	64	324
2.	क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग–भिलाई	65	379
3.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	27	01
4	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	09	66
5.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	56	78
6.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	09	35
7.	क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर	07	58
कुल		**237**	**941**

6. न्यायालयीन कार्यवाही :-

क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार मान. उच्चतम न्यायालय, मान. उच्च न्यायालय एवं मान. एन.जी.टी. में विचाराधीन प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका - 11

क्रं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	मान. उच्चतम न्यायालय	मान. उच्च न्यायालय	मान. एन.जी.टी.	जिला न्यायालय
01	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	01	10	–	04
02	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई–दुर्ग	–	32	–	25
03	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	–	–	–	01
04	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	–	–	–	04
05	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	00	01	02	23
06	क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर	01	–	–	–
07	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	01	03	–	01
कुल		**03**	**46**	**02**	**58**

क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार जिला न्यायालयों में दिनांक 1 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025 में दायर प्रकरणों की संख्या (जल, वायु एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में) का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका - 12

क्रं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	जिला न्यायालयों में इस वर्ष दायर प्रकरणों की संख्या
01	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	04
02	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई–दुर्ग	05
03	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	03
04	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	02
05	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	01
06	क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर	03
07	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	–
कुल		**18**

7. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा पार संचलन) नियम, 2016

इस नियम के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक की अवधि में जारी प्राधिकार एवं नवीनीकरण :–

1. प्राधिकार – 100
2. नवीनीकरण – 145

8. जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

इस नियम के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक की अवधि में जारी प्राधिकार एवं नवीनीकरण :–

1. प्राधिकार – 525
2. नवीनीकरण – 666

9. ध्वनि स्तर मापन :-

मंडल द्वारा दीपावली के पूर्व एवं दीपावली के दिन ध्वनि स्तर मापन का कार्य किया जाता है जिससे कि दीपावली पर्व के दौरान शहरों में ध्वनि का स्तर कितना है यह ज्ञात हो सके। इस वर्ष मंडल के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ध्वनि स्तर मापन की संख्या कुल 473 है।

10. ऑनलाईन कन्टीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन :-

मंडल के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के विभिन्न प्रमुख उद्योगों द्वारा रायपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर जगदलपुर, एवं भिलाई में कुल 161 ऑनलाईन कन्टीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किये गये हैं। इन उपकरणों द्वारा सतत् रूप में एस.पी.एम., आर.एस.पी.एम., एस.ओ.टू. एवं एन.ओ.एक्स. की स्थिति लगातार ज्ञात होकर दर्षित होती है।

11. 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑनलाईन कन्टीन्यूअस स्टेक एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित।

मंडल में 17 प्रकार के अतिप्रदूषणकारी उद्योग जिनमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार ऑनलाईन कन्टीन्यूअस स्टेक एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाना अनिवार्य था, में आने वाले सभी उद्योगों में उक्त सिस्टम स्थापित कर लिया गया है। प्रदेश में ऐसे उद्योगों की संख्या 163 है।

12. वृक्षारोपण बाबत् जानकारी (वर्ष 2025 में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी) :-

तालिका - 13

क्रं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वृक्षारोपण की संख्या
01	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	302042
02	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	273500
03	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	471366
04	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	776428
05	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई–दुर्ग	146383
06	क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर	2037853
07	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	153579
	कुल	**4161151**

13. जन जागरूकता अभियान :-

1. अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर पर्यावरण मंडल द्वारा पोस्टर एवं इन्वायरोथॉन प्रतियोगिता का आयोजन।

16 सितम्बर, 2025 अन्तर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जन–जागरूकता के लिये स्कूली एवं महाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं की पोस्टर एवं इन्वायरोथॉन प्रतियोगिता का आयोजन श्री ओ.पी. चौधरी, मान. मंत्री, वित्त, वाणिज्य कर, आवस एवं पर्यावरण तथा योजना एवं सांख्यिकी विभाग के मुख्य आतिथ्य एवं श्री राजु अगसिमनी, सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इन्वायरोथॉन प्रतियोगिता का विषय “Waste to Wealth” रखा गया, जिसमें तीनों केटेगरी में 350 छात्र–छात्राओं ने भाग लिया। पोस्टर प्रतियोगिता का विषय–जलवायु परिवर्तन के कारण एवं निदान तथा ओजोन परत संरक्षण–मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रखा गया। प्रतियोगिता में 500 छात्र–छात्राओं ने भाग लिया। दोनों ही प्रतियोगिताओं में आकर्षक नगद पुरस्कार व प्रमाण–पत्र दिये गये। इस अवसर पर मान. मंत्री जी ने प्रतियोगिता की पुरस्कार राशि को इसी वर्ष से दो गुना एवं अगले वर्ष से तीन गुना करने की घोषणा की। इस अवसर पर मान. मंत्री जी द्वारा सभी प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गयी। मण्डल के सभी 07 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इस अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

2. जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित 2021) के प्रभावी अनुपालन एवं जागरूकता पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित 2021) के प्रभावी अनुपालन एवं जागरूकता हेतु राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन श्री ओ.पी. चौधरी, मंत्री, वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना एवं सांख्यिकी विभाग के मुख्य आतिथ्य एवं श्री अंकित आनंद सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की अध्यक्षता में 10 दिसम्बर, 2025 को आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री राजु अगसिमनी, सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल भी उपस्थित थे। कार्यशाला में मण्डल के अधिकारियों के साथ–साथ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री अनूप चतुर्वेदी एवं श्री यादवेन्द्र यादव, अधिवक्ता केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा अपना प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस कार्यशाला में राज्य के प्रमुख अस्पतालों, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, इंडियन मेंडिकल एसोसिएशन, नर्सिंग होम एसोसिएशन एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रतिनिधियों एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों ने भाग लिया।

3. वृक्षारोपण पर राज्य स्तरीय समीक्षा में पर्यावरण संरक्षण के लिये उद्योगों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण के निर्देश।

दिनांक 28 जून, 2025 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में वृक्षारोपण कार्यक्रमों की समीक्षा के उद्देश्य से राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन श्री ओ.पी. चौधरी, मंत्री, वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना एवं सांख्यिकी विभाग के मुख्य आतिथ्य एवं श्री अंकित आनंद सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में मण्डल के सदस्य सचिव सहित राज्य के समस्त उद्योगों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में मान. मंत्री जी ने उद्योगपतियों का आह्वान किया कि वे वृक्षारोपण अभियान के तहत लगाये गये पौधों के जीवित रहने की पूरी जिम्मेदारी लें।

4. 05 जून, विश्व पर्यावरण दिवस पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा संगोष्ठी एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन।

05 जून, विश्व पर्यावरण दिवस पर जनजागरूकता अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा आज न्यू कन्वेन्शन हॉल सर्किट हाऊस, रायपुर में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मण्डल द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत इस प्रतियोगिता का विषय ''प्लास्टिक प्रदूषण – दुष्प्रभाव एवं समाधान'' रखा गया था। जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के लगभग 450 बच्चों ने भाग लिया। मण्डल के सभी 07 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संगोष्ठी एवं विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

5. सर्कुलर इकोनॉमी एवं वेस्ट मेनेजमेंट विषय में संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन।

मण्डल द्वारा भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल सर्कुलर इकोनॉमी एवं वेस्ट मेनेजमेंट विषय में संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 21/11/2025 को बिलासपुर में मण्डल के सदस्य सचिव श्री राजु अगसिमनी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में उद्योग प्रतिनिधियों को वेस्ट टू वेल्थ एवं ई.पी.आर. से मिलने वाले लाभ के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर, कोरबा के अधिकारी एवं इन क्षेत्रों के उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित थे। ई–वेस्ट विषय पर इसी प्रकार संभागीय कार्यशाला दिनांक 27/05/2025 जगदलपुर व 05/06/2025 को डाईट, पेन्ड्रा में आयोजित की गई।

6. ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वेस्ट ऑप्टिमाईजेशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन।

भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में मण्डल द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के 20 प्रशिक्षार्थियों के लिये रोजगारन्मुखी ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वेस्ट ऑप्टिमाईजेशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन किया गया। इस कोर्स में प्रशिक्षार्थियों को वेस्ट ऑप्टिमाईजेशन की प्रभावी तकनीक पर विस्तार से प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

7. मिशन लाईफ कार्यक्रम के अंतर्गत ईको-क्लब की जन-जागरूकता गतिविधियाँ

1. मण्डल द्वारा भारत माता इंग्लिश मीडियम स्कूल, बिलासपुर के साथ संयुक्त रूप से जलवायु की पाठशाला (टू एडाप्ट लो कार्बन लाईफ स्टाईल) विषय पर जलवायु परिवर्तन के संबंध में जन जागरूकता, प्रत्येक स्कूली बच्चे को जलवायु परिवर्तन की जानकारी देने एवं कार्बन फूट प्रिंट को कम करने हेतु प्रचार प्रसार के कार्यक्रम आयोजित किये गये। कार्यक्रम में बिलासपुर क्षेत्र की 50 शालाओं को शामिल किया गया।

2. मण्डल द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2025 जवाहर नवोदय विद्यालय, माना कैम्प में मिशन लाईफ का हमारे दैनिक जीवन में महत्व पर विस्तृत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने लाईफ प्लेज़ भी ली।

3. मण्डल द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2025 विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर शहीद संजय यादव स्कूल, संजय नगर में मिशन लाईफ प्लेज, कपड़ों के थैले का वितरण एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

4. मण्डल द्वारा दिनांक 11/08/2025 ''**एक पेड़ माँ के नाम**'' कार्यक्रम के तहत पी.एम.श्री. सेजस स्कूल खोरपा, अभनपुर, जिला–रायपुर एवं कलिंगा विश्वविद्यालय, नवा रायपुर में प्रदर्शनी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी प्रकार शहीद संजय यादव स्कूल में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

14. बोर्ड की वित्तीय स्थिति :-

वर्तमान में बोर्ड की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है :–

तालिका - 14

अवधि	सम्मति शुल्क रू. लाख में	नवीनीकरण शुल्क रू. लाख में
दिनांक 01 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025	2619.93	4997.57

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में कुल स्वीकृत, कार्यरत् एवं रिक्त पदों की जानकारी 31 दिसम्बर 2025 की स्थिति में

क्रं.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतन लेवल
1	2	3	4	5	6
1.	मु. अभियंता	01	01	00	लेवल – 16
2.	अति. मु. अभियंता	02	02	00	लेवल – 15
3.	अधीक्षण अभियंता	07	02	05	लेवल – 14
4.	वरि. वैज्ञानिक अधिकारी	03	02	01	लेवल – 14
5.	कार्यपालन अभियंता	09	09	00	लेवल – 13
6.	मुख्य रसायनज्ञ	07	07	00	लेवल – 13
7.	जनसंपर्क अधिकारी	01	01	00	लेवल – 13
8.	विधि अधिकारी	01	01	00	लेवल – 13
9.	वैज्ञानिक	21	07	14	लेवल – 12
10.	सहा.जनसंपर्क अधिकारी	01	00	01	लेवल – 12
11.	स्टाफ ऑफिसर	01	01	00	लेवल – 12
12.	सहायक अभियंता	20	08	12	लेवल – 12
13.	सहायक विधि अधिकारी	02	01	01	लेवल – 12
14.	अनुभाग अधिकारी (बी)	03	00	03	लेवल – 10
15.	कनिष्ठ वैज्ञानिक	15	09	06	लेवल – 10
16.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–1	01	00	01	लेवल – 10
17.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	02	00	02	लेवल – 09
18.	वरिष्ठ लेखापाल (बी)	06	03	03	लेवल – 09
19.	सहायक प्रोग्रामर	01	01	00	लेवल – 09
20.	उप अभियंता	01	01	00	लेवल – 08
21.	रसायनज्ञ	20	03	17	लेवल – 08
22.	लेखापाल	14	06	08	लेवल – 08
23.	विधि सहायक	01	00	01	लेवल – 08
24.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	02	00	02	लेवल – 07
25.	प्रयोगशाला सहा. ग्रेड–1	15	08	07	लेवल – 06
26.	सहायक ग्रेड–2	20	20	00	लेवल – 06
27.	प्रयोगशाला सहा. ग्रेड–2	20	05	15	लेवल – 04
28.	सहायक ग्रेड–3	40	08	32	लेवल – 04
29.	वाहन चालक	24	05	19	लेवल – 04
30.	प्रयोगशाला परिचारक	20	00	20	लेवल – 03
31.	दफ्तरी	12	00	12	लेवल – 02
32.	भृत्य	35	07	28	लेवल – 01
	कुल	**328**	**118**	**210**	